म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बी–1 / 1 / ख / विविध / 237 / 3541 भोपाल दिनांक 17 / 11 / 06

आदेश

म0 प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक मंडल बोर्ड की 103 वीं बैठक दिनांक 07.10.06 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक–10 में पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम–1998, की अनुसूची–01 में (संविदा नियुक्ति के) अन्य आगामी आदेश तक के लिये निम्नानुसार अस्थाई पदों का सृजन किया जाता है :–

क्र.	संवर्ग का नाम	अस्थाई पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	संविदा नियुक्ति पर वेतन
01	02	03	04	05
01	मृदा विशेषज्ञ	36	एम0 सी0 सी कृषि (मृदा विज्ञान) में उपाधि।	रूपये 7,000 /– प्रतिमाह
02	प्रयोगशाला तकनीशियन	35	बी0 एस0 सी0 ए0 जी0	रूपये 5,000 /– प्रतिमाह
03	मोबाइल वाहन चालक	10	10 वीं पास, वाहन चालन का ज्ञान और जीवित लाइसेंस हो।	रूपये 5,000 /– प्रतिमाह
04	मोबाइल वाहन क्लीनर	10	08 वीं पास वाहन चालन का अनुभव।	रूपये 3,000 /– प्रतिमाह

1. स्थापित / स्थापनाधीन प्रयोगशालाओं में क्रमांक 01 और 02 पद पर कार्यरत सेवकों का वेतन संबंधित मंडी समिति वहन करेगी। इन प्रयोगशालाओं में 02 कर्मचारी मंडी के कार्यरत रहेंगें।
2. चलित प्रयोगशालाओं के अमले का वेतन भत्ते आदि का व्यय संबंधित आंचलिक कार्यालय के बार्षिक बजट में जोड़ा जावे।

यह प्रावधान बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 07.10.2006 से प्रतिस्थापित होगा।

16/11

(एम0 ए0 खान)
प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–7/2/290 पार्ट/397 भोपाल, दिनांक 08/05/2009

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)
....
जिला– ....
(म.प्र.)

विषयः– मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश ।

संदर्भः– उप सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक डी–3–03/07/14–3 भोपाल, दिनांक 31.3.09 द्वारा बैठक दिनांक 24.2.09 का अनुमोदित कार्यवाही विवरण ।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की मंडियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु इस संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों की बैठक दिनांक 24.2.09 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी ।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन राज्य शासन द्वारा उक्त संदर्भित पत्र से कर दिया गया है ।

अतः अनुमोदित कार्यवाही विवरण के अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

शासन की योजना अन्तर्गत जिन मंडी समितियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, उसका प्रबंधन संबंधित मंडी समिति को हस्तान्तरित किया जाता है ।

पूर्व में मंडी समिति के जिन दो कर्मचारियों को मंडी बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला संचालन हेतु कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण दिलाया गया था उनकी पदस्थापना पुनः उसी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में की जायेगी, इस संबंध में संबंधित मंडी समिति ई.एण्ड एम. शाखा को शीघ्र प्रस्ताव देगी ।

पूर्व में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्रतिप्रयोगशाला के हिसाब से निर्धारित सेट–अप अनुसार एक प्रयोगशाला प्रभारी जिसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम एम.एस.सी सॉइलसांइस हो, की नियुक्ति रू. 7000/– प्रतिमाह फिक्सड मानदेय पर मंडी समिति द्वारा नियमानुसार की जायेगी ।

इन प्रयोगशालाओं में अधोसंरचना के सुचारू एवं सुव्यवस्थित कराने के संबंध में जो भी व्यय होगा,उसके लिए मंडी समिति आंकलन कर मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन लेकर कार्य कराने के लिये सक्षम होगी ।

समस्त प्रयोगशालाओं में कृषि विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क प्राप्त कर किसानों की मिट्टी परीक्षण के नमूनों की जांच की जावेगी।

बिन्दु कमांक(3) में उल्लेखित प्रयोगशाला प्रभारी की मानदेय पर नियुक्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक जिले के उपसंचालक कृषि द्वारा किसी प्रशिक्षित तथा सक्षम अधिकारी की नियुक्ति प्रयोगशाला प्रभारी के रूप में की जावेगी । प्रयोगशाला प्रभारी की नियुक्ति किये जाने के उपरान्त इनकी सेवायें वापस मूल विभाग को कर दी जावेंगी ।

मंडी बोर्ड में उपलब्ध चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वाहनों को निम्नानुसार मंडी में स्थापित प्रयोगशालाओं में कार्यरत रखा जावेगा– (1) विदिशा (2) हरदा (3) बुरहानपुर (4) रतलाम (5) गुना (6) कटनी (7) पन्ना (8) सतना । इन वाहनों के प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले उपकरणों की स्थापना मंडी समिति द्वारा स्वयं की जावेगी । इन वाहनों के संचालन हेतु एक लेब टेक्नीशियन तथा वाहन चालक की नियुक्ति मंडी समिति द्वारा नियमानुसार की जावेगी । लेब टेक्नीशियन तथा वाहन चालक का वेतन जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मिनिमम् वेजेस के आधार पर निर्धारित किया जाये । कलेक्टर द्वारा यदि मिनिमम् वेज़ेस निर्धारित नहीं हो तो लैब टेक्नीशियन हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जायें।

केमिकल्स तथा ग्लासवेयर जैसे कन्जूमेबल आइटम्स के लिये संबंधित मंडी समिति अपनी चालू निधि से बजट में प्रावधान करेंगी एवं अपनी कार्य योजना में सम्मिलित कर विधिवत् मंडी बोर्ड के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

संबंधित जिले के उपसंचालक कृषि अपने जिले में यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने नमूनों का परीक्षण इन प्रयोगशालाओं में किये गये है उनके परिणाम को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो । साथ ही मंडी समिति कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करेगी तथा व्यापक प्रचार प्रसार के साथ किसानों को मिट्टी परीक्षण हेतु प्रोत्साहित करेगी, ताकि अधिक से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जाकर कृषकों को लाभान्वित किया जा सकें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

O/C

क्रमांक/बी–7/2/290 पार्ट/398
भोपाल, दिनांक 08/5/1

प्रतिलिपि:

(1) डॉ. एच.बी.एस भदौरिया, उपसचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर उपयुक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।

(2) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित जिले के उपसंचालक कृषि को अपने स्तर से भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु जारी उक्त दिशा निर्देशों का पालन कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

(3) अपर संचालक(कार्मिक), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृषि विश्व विद्यालय से मिट्टी परीक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त मंडी कर्मचारियों की पदस्थापना यदि अन्यत्र मंडी में हो तो ई.एण्ड एम. शाखा से प्राप्त प्रस्तावानुसार संबंधित मंडी समिति में करें ।

(4) अपर संचालक (वित्त)/संयुक्त संचालक(समस्त) , म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय–भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(5) मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री ई.एण्ड एम. शाखा, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय–भोपाल की ओर पालनार्थ ।

(6) उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय की ओर पालनार्थ ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

O/C